

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/41

महावीर आयु बालिग आत्मज नैनवा उर्फ नैनगा जाति मीणा निवासी ग्राम कोथ्या  
तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

**बनाम**

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 10.06.2019


1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 310 रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खसरा परिशोधन के बाद खसरा नम्बर 494/310 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा हैं । उक्त भूमि में से 06 बीघा भूमि वादी ने करीबन 30 वर्ष पूर्व फाड़-तोड़कर काबिल काश्त बनायी थी जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि में सम्बन्ध में वादी का नाम खसरा परिवर्तनशील निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त में भी समय-समय पर अंकित होता चला आ रहा है एवं धारा 91 लै0 रे0 एक्ट के नोटिस भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होने से उन्हें दिये जाते रहे हैं । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन गया है ।



3. अतः वादग्रस्त आराजी में 06 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि सरकारी खाते से विलोपित कर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे । विकल्प में उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि के पास स्थित होने से स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत खातेदारी में नियमन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित राशि वादीगण से जमा कर उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्धीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी वादग्रस्त आराजी में से 06 बीघा भूमि पर पिछले 30 वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के उपरान्त न तो तनकीयात कायम की गई हैं और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है तथा अपीलान्ट को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।
6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत में किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.12.2016 को हुई जिस पर उक्त अपीलान्धीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में से 06 बीघा भूमि पर पिछले 30 वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के उपरान्त न तो तनकीयात कायम की गई हैं और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है तथा अपीलान्ट को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।



9. रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी चम्बल कमाण्ड परियोजना की भूमि है जिस पर अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय के अनुसार भी कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल फरमाया जावे ।
10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
11. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी जो कि राजकीय भूमि है और चम्बल कमाण्ड परियोजना की भूमि है पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद पेश किया । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है और चम्बल कमाण्ड परियोजना की भूमि है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय आरआरडी 2011 पेज 508 एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय को आरआरटी 2016 (2) पेज 791, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय डीएनजे 2013 (एससी) पेज 948, 2018 (1) सीजे (सिविल) पेज 44 के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जाता है ।
13. निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(भागवती जेठवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री  
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
बड़जलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/41

महावीर आयु बालिग आत्मज नैनवा उर्फ नैनगा जाति मीणा निवासी ग्राम कोथ्या तहसील  
तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थ

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 494/दावा/2014

महावीर आयु बालिग आत्मज नैनवा उर्फ नैनगा जाति मीणा निवासी ग्राम कोथ्या तहसील  
तालेडा जिला बून्दी ।

—वा

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—प्रतिवा




## अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 10.06.2019 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्च एवं मूल वाद के खर्च पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर



(भागवंती जेठवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा